FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0225 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/10/2024 15:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/04/2012 **Date To (दिनांक तक):** 03/10/2022
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:10 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/10/2024 **Time (समय):** 15:02 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/10/2024 15:20:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 1.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** A-161, A - BLOCK, KARNINAGAR LALGADH, BIKANER

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** AANAND MISHRA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** ADHAR SHYAM MISHRA

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 08/02/1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 16, KARANPUR, SHRI KARANPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 16, KARANPUR, SHRI KARANPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GOPAL SINGH RAJPUROHIT		पिता:KESRI SINGH	1. A-161,KARNINAGAR BIKANER,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		17,81,448.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 17,81,448.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 03.10.2022 को ट्रैप कार्यवाही विरुद्ध श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित तत्कालीन उपनिवेशन पटवारी व सहायक ऑफिस कानूनगो, उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नं. 02, जिला जैसलमेर के दौरान आरोपी के आवासीय स्थल मकान नम्बर ए-161, ए ब्लॉक, करणीनगर, लालगढ़, बीकानेर की खाना तलाशी दिनांक 03.10.2022 को निर्देशानुसार श्रीमती पिंकी गंगवाल-पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, चौकी एसयू, बीकानेर द्वारा ली गई थी। ट्रैप कार्यवाही पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर में प्रकरण संख्या 394/2022 विरुद्ध श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित दर्ज किया गया था। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी दिनांक 20.04.2012 की ट्रैप कार्यवाही संबंधी प्रकरण सं. 99/2012 दर्ज हुआ था। जिसकी खाना तलाशी जांच चैक अवधि 03.10.1996 से 20.04.2012 की जाकर रिपोर्ट मुख्यालय निर्णय हेतु प्रेषित की जा चुकी है। आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर के प्रकरण सं. 99/2012 में माननीय सेशन न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर द्वारा अन्वीक्षा उपरांत दिनांक 24.06.2022 को निर्णय सुनाया जाकर आरोपी श्री गोपाल सिंह को धारा 7, 13(1) डी/13(2) पीसी एक्ट 1988 में दोषसिद्ध किया जा चुका है। उक्त निर्णय उपरांत आरोपी श्री गोपाल सिंह को श्रीमान् आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के पत्र क्रमांक प-6 (अ)(6) विजां/भू.अ./2012/3783 दिनांक 11.10.2022 द्वारा राजकीय सेवा से पदच्युत किया जा चुका है। आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही प्रकरण सं. 394/2022 में दिनांक 03.10.2022 की खाना तलाशी कार्यवाही, जांच व स्पष्टीकरण आदि से पाया गया कि आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित के पिता स्व. श्री केशरी सिंह उपनिवेशन विभाग मे सवार पद पर राजकीय सेवा में थे, जिनकी वर्ष 1994 में राजकीय सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति से आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित की राजकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक 03.10.1996 को पटवारी पद पर कार्यालय तहसीलदार उपनिवेशन मोहनगढ़ नं. 03, जिला जैसलमेर में हुई थी। आरोपी के जी.ए. 55 के आधार पर अवधि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 तक प्राप्त शुद्ध वेतन की कुल राशि 3715900 रूपये पाई गई, जो कि आय पक्ष में शामिल की गई। आरोपी गोपाल सिंह राजपुरोहित को उपरोक्त अवधि में सकल वेतन 5962257 रूपये प्राप्त हुआ, जिसमें से आयकर कटौती राशि 51150 रूपये घटाने पर सकल वेतन 5911107 रूपये प्राप्त होना पाया गया, उक्त प्राप्त सकल वेतन का 1/3 राशि 1970369 रूपये असत्यापनीय व्यय होना पाया गया। आरोपी के आवासीय स्थान की खाना तलाशी के दौरान नगद राशि 73500 रूपये तथा परिसम्पतियों की अनुमानित कीमत 618400 रूपये की पाई गई, अतः कुल राशि 691900 रूपये आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल की गयी। आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित B.Sc., M.Sc.-Chemistry, BEd, PGDCA योग्यताधारी है। श्रीमती सीमा पुरोहित चैक पिरीयड के दौरान दिनांक 01.05.2012 से 30.06.2014 तक बीकानेर पब्लिक स्कूल से 7000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 182000 रूपये वेतन के रूप में प्राप्त हुए। दिनांक 01.07.2014 से 31.03.2015 तक दयानन्द पब्लिक स्कूल बीकानेर से 13000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 117000 रूपये वेतन के रूप में प्राप्त हुए। श्रीमती सीमा पुरोहित को केनरा बैंक खाता संख्या 83402010029651 के स्टेटमेन्ट व पेश आईटीआर के अनुसार दिनांक 01.04.2015 से 03.10.2022 तक दयानन्द पब्लिक स्कूल बीकानेर से प्राप्त वेतन भत्तों के रूप में कुल 1154362 रूपये प्राप्त हुए। इस प्रकार आरोपी ने स्पष्टीकरण व पेश दस्तोवेजो के अनुसार अपनी पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित को चैक अवधि के दौरान बीकानेर पब्लिक स्कूल व दयानन्द पब्लिक स्कूल बीकानेर में पढ़ाने से कुल 1453362 रूपये की आय होना बताया जिसे आरोपी के आय पक्ष में लिया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित ने चैक पिरीयड के दौरान बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य भी किया, जिसकी आरोपी के स्पष्टीकरण व पेश आईटीआर के अनुसार ट्यूशन पढ़ाने से वित्तीय वर्ष 2015-16 में 142500 रूपये, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 148400 रूपये, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 155200 रूपये, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 80500 रूपये, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 77520 रूपये, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 130200 रूपये, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 220400 रूपये की आय होना पाई गई। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित की पेश आईटीआर के अनुसार ट्यूशन पढ़ाने से वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक कुल 954720 रूपये की आय होनी पाई गई। उक्त 954720 रूपये आरोपी के आय पक्ष में शामिल की गई। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व दस्तावेजों के अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित द्वारा दिनांक 23.04.2018 को निपोन म्यूचल फण्ड

(रिलायंस म्यूचुअल फण्ड) के तीन फोलियो नम्बर 401197370666, 401197374166 व 401197372386 में प्रति फोलियो 2000 रूपये मासिक के अनुसार दिनांक 23.04.2018 से निवेश किया गया था। फोलियो नम्बर 401197370666 में आरोपी की पत्नी सीमा पुरोहित के एयू बैंक खाता संख्या 1711226412603211 से 2000 रूपये की 16 किश्त कटौती होकर जमा हुई, उक्त म्यूचल फण्ड बंद करवाया जाने पर दिनांक 01.06.2021 को 31183 रूपये श्रीमती सीमा पुरोहित के बैंक खाते में जमा होने पाये गये। फोलियो नम्बर 401197374166 में आरोपी की पत्नी सीमा पुरोहित के एयू बैंक खाता संख्या 1711226412603211 से 2000 रूपये की 16 किश्त कटौती होकर जमा हुई, उक्त म्यूचल फण्ड बंद करवाया जाने पर दिनांक 01.06.2021 को 36630 रूपये श्रीमती सीमा पुरोहित के बैंक खाते में जमा होने पाये गये। फोलियो नम्बर 401197372386 में आरोपी की पत्नी सीमा पुरोहित के एयू बैंक खाता संख्या 1711226412603211 से 2000 रूपये की 15 किश्त कटौती होकर जमा हुई, उक्त म्यूचल फण्ड बंद करवाया जाने पर दिनांक 01.06.2021 को 37234 रूपये श्रीमती सीमा पुरोहित के बैंक खाते में जमा होने पाये गये। इस प्रकार उक्त तीनो म्चूचल फण्ड में कुल 94000 रूपये का निवेश होकर 105047 रूपये का रिटर्न मिलना पाया गया, जो कि आरोपी के व्यय व आय पक्ष में शामिल किया गया। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण के अनुसार आरोपी के एक पुत्र कुनाल राजपुरोहित व एक पुत्री भुवी राजपुरोहित हैं। कुनाल राजपुरोहित का जन्म दिनांक 20 सितम्बर 2001 में हुआ था व पुत्री भुवी राजपुरोहित का जन्म दिनांक 24 सितम्बर 2010 को हुआ था। चैक अवधि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 के मध्य कुनाल राजपुरोहित ने कक्षा 07 से बी.ए. तक की शिक्षा ग्रहण की थी, जिसके कक्षा 07 से 12 तक प्रतिवर्ष 9000 रूपये के अनुसार 54000 रूपये व्यय हुए व प्राईवेट बी.ए. की शिक्षा पर 1500 रूपये प्रतिवर्ष के अनुसार कुल 4500 रूपये व्यय हुआ, इस प्रकार कुनाल राजपुरोहित की शिक्षा पर चैक अवधि में कुल 58500 रूपये व्यय होना पाया गया, जो उचित माना जाकर आरोपी के व्यय पक्ष में जोड़ा गया। आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित की पुत्री भुवी राजपुरोहित जो कि सोफिया सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, जयपुर रोड़ बीकानेर में कक्षा 07 में पढ़ती है, जिसका स्कूल से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर कक्षा प्रथम से कक्षा 07 तक वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 में जमा कुल शिक्षा शुल्क (एडमिशन शुल्क, ट्यूशन शुल्क, अन्य शुल्क) राशि 193070 रूपये होना पाया गया। उक्त राशि आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल की गई। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व पेश दस्तावेज के अनुसार आरोपी का लड़का कुनाल प्राईवेट बैंक में जॉब करता है, जिसका वेतन व कमीशन से प्राप्त आय कुनाल की आईटीआर वर्ष 2020-21 में 238350 रुपये एवं 2021-22 में 187970 रुपये कुल 426320 रुपये आय होनी पाई गई। आरोपी के पुत्र कुनाल की वेतन से आय संबंधी आईसीआईसीआई बैंक के स्टेटमेंट दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2022-23 में 9097 रुपये आय होनी पाई गई। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण के अनुसार आरोपी की माताजी श्रीमती भंवरी देवी जो आरोपी के पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद से उसके साथ ही रहती हैं, उनकी देखभाल वो ही करता है, आरोपी की माताजी पेंशनर हैं जिनके एसबीआई पैंशन खाता संख्या 51037144453 में वर्तमान में 11882 रूपये प्रतिमाह पेंशन आती हैं आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण के अनुसार पेंशन राशि उसकी माताजी से प्रतिमाह आरोपी को प्राप्त होती है। आरोपी ने इस संबंध में चैक अवधि की अपनी माताजी के बैंक खाता की पासबुक की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की जिसके स्टेटमेंट के अनुसार चैक अवधि में कुल 1099912 रूपये पेंशन प्राप्त होना पाया गया परंतु स्टेटमेंट में राशि का नियमित आहरण सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर से होना पाया गया है जबकि आरोपी का निवास स्थान बीकानेर है। गोपनीय रुप से पता करने पर भी आरोपी की माता का स्थायी रुप से निवास स्थान कस्बा सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर में होना पाया गया है। अतः आरोपी का माता संबंधी स्पष्टीकरण मानने योग्य नहीं पाया गया। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व बैंक से प्राप्त खाता स्टेटमेन्ट के अनुसार आरोपी ने अपने मकान के ऊपर मंजिल किराये पर देना बताया व मकान के नीचे बना बैसमेन्ट भी किराये पर देना बताया। आरोपी के स्पष्टीकरण के अनुसार चैक अवधि में दिनांक 21.04.2012 से 31.12.2013 तक श्री राज सिंह शेखावत 7000 रुपये प्रतिमाह से किराएदार के रूप में रहा, जिससे कुल 21 माह के कुल 147000 रूपये किराये के रूप में प्राप्त हुए, दिनांक 01.01.2014 से 31.05.2020 तक श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह 9500 रूपये प्रतिमाह से किराएदार के रूप में रहा, जिससे 29 माह के कुल 275500 रूपये किराये के रूप में प्राप्त हुए, दिनांक 01.06.2016 से 31.12.2019 तक श्री श्रवण सिंह पुत्र उदय सिंह राजपूत 11000 रूपये प्रतिमाह से किराएदार के रूप में रहा, जिससे 43 माह के कुल 473000 रूपये किराये के रूप में प्राप्त हुए, दिनांक 01.01.2020 से ट्रैप दिनांक 03.10.2022 तक लगातार डॉ अमित सिह शेखावत पुत्र जालिम सिंह 12000 रूपये प्रतिमाह से किराएदार के रूप में रहा, जिससे ट्रैप दिनांक तक 33 माह के कुल 396000 रूपये किराये के रूप में प्राप्त हुए, डॉ अमित सिह शेखावत वर्तमान में भी आरोपी के उपर के मकान में निवास करते हैं। इस प्रकार चैक अवधि में आरोपी के ऊपर के मकान से किराये के रूप में कुल 1291000 रूपये की आय होना पाई गई। आरोपी को प्राप्त उक्त किराया राशि आरोपी द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट व स्पष्टीकरण के अनुसार अधिकतर नकद रुप में प्राप्त होना बताया है तथा किरायेदार अमित सिंह से संबंधित कुछ प्रविष्टियां स्टेटमेंट में होनी पाई गई। आरोपी का उक्त स्पष्टीकरण मानने योग्य प्रतीत होने पर उक्त आय आरोपी के आय पक्ष में शामिल की गई। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार आरोपी के मकान ने नीचे बने बैसमेन्ट में चैक अवधि दिनांक 21.04.2012 से 31.12.2014 तक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह 5000 रूपये प्रतिमाह से ट्यूशन हेतु किराये पर दे रखा था, जिनसे 33 माह के कुल 165000 रूपये किराये के रूप में प्राप्त

हुए तथा दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2016 तक श्री राजेन्द्र सिंह को ही 6000 रूपये प्रतिमाह से ट्यूशन हेतु किराये पर दिया, जिनसे 24 माह के कुल 144000 रूपये किराये के रूप में प्राप्त हुए। दिनांक 01.01.2017 से ट्रैप दिनांक तक श्री नवनीत खत्री व श्री मनजीत सिंह को 7000 रूपये प्रतिमाह गोदाम के रूप में किराये पर दे रखा था, जिनसे कुल 69 माह के कुल 483000 रूपये किराये के रूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार चैक अवधि में आरोपी के मकान के नीचे बने बेसमेन्ट से किराये के रूप में कुल 792000 रूपये की आय हुई। आरोपी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त स्पष्टीकरण मानने योग्य नहीं पाया गया। खाना तलाशी में जब्त दस्तावेज बिना प्रमाणितशुदा गिफ्ट डीड दिनांक 09.11.2021 सुमन पुरोहित पुत्री श्री गुलाब बहक सीमा पुरोहित के नाम 750000 रूपये का प्राप्त हुआ था। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व पेश नोटेरीशुदा प्रमाणित गिफ्टडीड दिनांक 09.11.2021 की प्रमाणित प्रति के अनुसार सुमन पुरोहित पुत्री श्री गुलाब सिंह निवासी पटेलनगर बीकानेर जो कि आरोपी की साली हैं तथा भोपाल, मध्यप्रदेश में प्राईवेट जॉब करती है, जिसके द्वारा आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित (सुमन की बहन) के नाम से दिनांक 09.11.2021 को राशि 750000 रूपये अपने भानजे-भाणजी की पढ़ाई/ डिप्लोमा हेतु गिफ्ट डीड के अनुसार जरिये आईसीआईसीआई बैंक जेएनवीसी के चैक संख्या 011811 दिए गए थे जो कि आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण के अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के केनरा बैंक खाता संख्या 13402010029651 में दिनांक 17.11.2021 को जमा हुए हैं। आरोपी का उक्त स्पष्टीकरण मानने योग्य होने पर उक्त राशि 750000 रूपये आरोपी के आय पक्ष में शामिल की गई। खाना तलाशी में जब्त दस्तावेज ऑडी मोटर प्रा.लि. गंगानगर रोड़ बीकानेर के बिल संख्या 6591 दिनांक 08.06.2018 श्रीमती सीमा पुरोहित के नाम चालान, बैक रिसिप्ट वगैरा के संबंध में आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त दस्तावेज आरोपी की पत्नी के नाम खरीदी ब्रेजा गाड़ी संख्या आरजे 07 सीडी 7706 वर्ष 2018 में खरीद के समय के है, उक्त गाड़ी खरीद में आरोपी द्वारा राशि 287000 रूपये डॉउन पैमेन्ट जमा करवाया गया तथा 880000 रूपये का एयू स्मॉल फाईनेस बैक के कार लोन खाता संख्या 9001020114928410 से लोन करवाया गया था। उक्त लोन खाता संख्या 9001020114928410 के स्टेटमेन्ट के अनुसार आरोपी द्वारा 18719 रूपये मासिक किश्त के अनुसार चैक अवधि में ट्रैप दिनांक तक कुल 917231 रूपये कार लोन की किश्तों के जमा करवाये गये। अतः डाउन पेमेंट राशि 287000 रुपये व लोन पुनर्भरण राशि 917231 रुपये, कुल राशि 1204231 आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल की गई। खाना तलाशी में जब्त दस्तावेज किसान विकास पत्र क्रमांक 44CE 057748, 44CE 057749, 44CE 021295, 44CE 021296, 36CE 960795, 36CE 960796 कुल 06 प्राप्त हुए थे। जो आरोपी द्वारा दर्ज स्पष्टीकरण के अनुसार उसके पुत्र कुनाल राजपुरोहित के सितंबर 2015 में जन्मदिन पर नाना-नानी, दादी, मौसी, मामा के द्वारा गिफ्ट किए गये रूपयो से आरोपी द्वारा उपर्युक्त किसान विकास पत्र वर्ष 2015 व 2016 में खरीदे गये थे। आरोपी का यह स्पष्टीकरण मानने योग्य नही हैं। अतः उक्त दस-दस हजार रूपये के 06 किसान विकास पत्र कुल राशि 60000 रूपये आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल की गई। खाना तलाशी दिनांक 03.10.2022 में जब्त दस्तावेज बेचान पत्र कृषि भूमि चक 05 पीएम मुरब्बा नम्बर 159/45 कुल 11 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड भूमि उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नम्बर ए जिला जैसलमेर सीमा पुरोहित पुत्री श्री गुलाब सिंह के नाम दस्तावेज कुल 07 वर्क प्राप्त हुए थे। आरोपी द्वारा दर्ज स्पष्टीकरण से आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित द्वारा भीमाराम के मुखत्यार आम होने की हैसियत से 2,10,000 रुपये भीमाराम को नकद दिए जाकर उक्त भूमि स्वयं के नाम दिनांक 19.09.2008 को क्रय किया गया था। उक्त विक्रय पत्र की मालियत राशि 222300 रुपये अंकित है जिस पर पंजीयन शुल्क 2430 रुपये व मुद्रांक निष्पादन शुल्क 11120 रुपये व्यय किया गया। अतः उक्त राशि 222300 रूपये अन्य शुल्क 2430 11120 रुपये, कुल 235850 रुपये आरोपी के व्यय पक्ष में सम्मिलित किए जाने योग्य पाए गए हैं। परंतु उक्त दस्तावेज दिनांक 19.09.2008 को निष्पादित किया गया था जो कि आरोपी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की अन्य जांच चैक अवधि 03.10.1996 से 20.04.2012 तक से संबंधित है जिसकी जांच की जाकर रिपोर्ट मुख्यालय निर्णय हेतु पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है तथा उक्त दस्तावेज उसमें शामिल नहीं किया गया था। आरोपी की चैक अवधि 03.10.1996 से 20.04.2012 तक की गई जांच में आरोपी की आय 3401928/- रुपये तथा व्यय 2971238/- रुपये होना पाया गया था। इस प्रकार चैक अवधि के अंत में दिनांक 20.04.2012 को व्यय की तुलना में आरोपी की आय 430690/- रुपये अधिक होनी पाई गई थी जिसमें से दिनांक 19.09.2008 को निष्पादित दस्तावेज बेचान पत्र कृषि भूमि चक 05 पीएम मुरब्बा नम्बर 159/45 कुल 11 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड भूमि उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नम्बर ए जिला जैसलमेर पर व्यय राशि 235850 रुपये परिसंपत्ति-आय पक्ष से घटाई जाकर व दिनाक 20.04.2012 को आरोपी के युनियन बैंक के वेतन खाता संख्या 516902010072684 में पाई गई राशि 55886.05 रुपये को परिसंपत्ति-आय पक्ष से घटाया जाकर शेष रही परिसंपत्ति-आय अंतर राशि 138954/- रुपये को चैक अवधि 03.10.1996 से 20.04.2012 के अंत में आरोपी के पास उपलब्ध परिसंपत्ति के रुप मे शामिल किया जा रहा है। यह दस्तावेज यद्यपि ट्रैप कार्यवाही दिनांक 03.10.2022 के दौरान प्राप्त हुआ है तथा उक्त राशि 235850 रुपये को यदि पूर्व की खाना तलाशी जांच में शामिल किया जाए तो अंतिम निष्कर्ष पर भी कोई प्रभाव पड़ना संभव नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज को आरोपी की इस चैक अवधि जांच दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 में शामिल नहीं किया जा रहा है । आरोपी की पत्नी के नाम कृषि भूमि चक 05 पीएम मुरब्बा नम्बर 159/45 कुल 11 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड भूमि

उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नम्बर ए जिला जैसलमेर से कृषि उपज चना की विक्रय पर्ची बाबा रामदेव ट्रेडिंग कंपनी, कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर की दिनांक 05.04.16 पेश की जिसमें चना विक्रय राशि 194250 रूपये जो आरोपी की आय पक्ष में शामिल किया गया। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण के अनुसार की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित उक्त चक 05 पीएम की कृषि भूमि पर हुई उपज से प्राप्त आय राशि 200000 रूपये जरिये चैक श्री बाबा रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी से प्राप्त हुए, जिसका ईन्द्राज बैंक पास बुक में दिनांक 11.05.2022 को हैं। आरोपी का उक्त स्पष्टीकरण मानने योग्य हैं, अतः राशि 200000 रूपये आरोपी की आय पक्ष में शामिल की गई। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण के अनुसार की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित उक्त चक 05 पीएम की उक्त कृषि भूमि को वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में ठेका पर देने प्राप्त आय राशि 400000 रूपये हैं। जिसका उल्लेख आरोपी के स्पष्टीकरण के अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के आईटीआर में किया गया हैं। आरोपी द्वारा उक्त राशि प्राप्ति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उक्त कृषि आय को आरोपी के आय पक्ष में शामिल नहीं किया गया है। ट्रैप दिनांक 03.10.2022 को गिरफ्तारी के समय आरोपी की जामा तलाशी में आरोपी के पास से मिली सोने की चैन, सोने की अगूंठी आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण में अपने विवाह में उपहार में मिली हुई बताया, आरोपी के पास मिला रेडमी कम्पनी का मोबाईल आरोपी ने स्पष्टीकरण में 10000 रूपये में क्रय करना बताया तथा जामा तलाशी व कार में मिले 340 रूपये व 3600 रूपये आरोपी ने स्वयं के बचत के होने बताये। अतः कुल 13940 रूपये आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल किया गया। आरोपी द्वारा पेश दस्तावेजो व स्पष्टीकरण के अनुसार परिवादी द्वारा एक भूखण्ड ए-161, करणीनगर, लालगढ़ बीकानेर में दिनांक 29.02.2008 में क्रय किया, जिसकी मालियत राशि 621000 रूपये इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क आदि राशि 53870 रूपये व्यय हुआ था। आरोपी द्वारा अपनी माताजी की ओर से भू-खण्ड क्रय तथा मकान निर्माण हेतु 179870 रूपये प्राप्त होना पूर्व की ट्रैप कार्यवाही दिनांक 20.04.2012 की खाना तलाशी जांच में दर्ज करवाया था। उक्त संपत्ति के संबंध में जांच दिनांक 20.04.2012 की खाना तलाशी में की जाकर स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। अतः इस ट्रैप कार्यवाही दिनांक 03.10.2022 की खाना तलाशी जांच चैक अवधि में इसे सम्मिलित नहीं किया गया। आरोपी द्वारा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण व एलआईसी से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड ए-161, करणीनगर, लालगढ़, बीकानेर पर मकान बनवाने हेतू एलआईसी हॉउसिंग फाईनेस लिमिटेड बीकानेर से वर्ष 2009-10 में दिनांक 25.05.2009 को खाता संख्या 15005039716 से प्रथम लोन राशि 900000 रूपये व मकान विस्तार हेतु दिनांक 06.07.2010 को खाता संख्या 15005041172 से द्वितीय होम लोन राशि 500000 रूपये व दिनांक 22.02.2018 को खाता सं. 320500007508 द्वारा तृतीय होम लोन राशि 1785000 रुपये का लोन कुल प्राप्त किया। चैक अवधि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 के दौरान आरोपी द्वारा प्रथम लोन राशि पुनर्भरण की कुल पुनर्भरण किश्तें 1495368 रुपये, द्वितीय लोन राशि कुल पुनर्भरण किश्तें 888873 रुपये तथा तृतीय लोन राशि कुल पुनर्भरण किश्तें 962776 रुपये जमा करवाई जा चुकी हैं। उक्त तीनों लोन की चैक अवधि में कुल पुनर्भरण राशि 3347017 रुपये को आरोपी के व्यय पक्ष मे शामिल किया गया। आरोपी के युनियन बैंक के वेतन खाता संख्या 516902010072684 में ट्रैप दिनांक 03.10.2022 को बैलेंस 199095 रूपये होना पाया गया। उक्त खाते को खोले जाने की दिनांक 27.01.2011 होनी पाई गई तथा चैक अवधि से पूर्व दिनांक 20.04.2012 को खाते में अंतिम बैलेंस 55886.05 रुपये होना पाया गया। आरोपी के बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 667010110009655 बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त खाता दिनांक 20.03.2020 को बंद होना पाया गया। उक्त खाते को खोले जाने की दिनांक 14.07.2015 होनी पाई गई। आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के एयू स्मॉल फॉईनेंस के बचत खाता संख्या 1711226412603211 में ट्रैप दिनांक को अंतिम बैलेंस 91311 रूपये होना पाया गया। उक्त खाते को खोले जाने की दिनांक 21.11.2017 होनी पाई गई। आरोपी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीपीएफ खाता संख्या 37329261730 में ट्रैप दिनांक तक जमा करवाई गई कुल राशि 900000 रूपये होना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीपीएफ खाता संख्या 37907421461 में ट्रैप दिनांक तक जमा करवाई गई कुल राशि 750000 रूपये होना पाया गया। आरोपी के पुत्र कुनाल के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीपीएफ खाता संख्या 40192757766 में ट्रैप दिनांक तक जमा करवाई गई कुल राशि 2000 रूपये होना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के एचडीएफसी के खाता संख्या 50100497444429 में ट्रैप दिनांक तक अंतिम बैलेंस 237220 रूपये होना पाया गया। उक्त खाते को खोले जाने की दिनांक 22.04.2022 होनी पाई गई। आरोपी व आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 37252089137 में ट्रैप दिनांक तक अंतिम बैलेंस 890 रूपये होना पाया गया। उक्त खाते को खोले जाने की दिनांक 23.10.2017 होनी पाई गई। आरोपी के पुत्र कुनाल के मैक्स लॉइफ पॉलिसी नम्बर 609083563 में ट्रैप दिनांक तक 250000 रूपये जमा करवाया जाना पाया गया। आरोपी की पुत्री भुवी के मैक्स लॉइफ पॉलिसी नम्बर 609083423 में ट्रैप दिनांक तक 250000 रूपये जमा करवाया जाना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के एसबीआई एफडी खाता संख्या 37438628275 में ट्रैप दिनांक तक एफडी करवाई कुल राशि 25000 रूपये जमा करवाया जाना पाया गया। आरोपी के पुत्र कुनाल के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 37285154032 में ट्रैप दिनांक तक अंतिम बैलेंस 399 रूपये होना पाया गया। उक्त खाते को खोले जाने की दिनांक 07.11.2017 होनी पाई गई। आरोपी व उसकी पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के एसबीआई बैक शाखा करणीनगर बीकानेर

में स्थित लॉकर संख्या 417 की तलाशी में लॉकर पूर्णतया खाली होना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के केनरा बैंक खाता संख्या 83402010029651 में ट्रैप दिनांक तक अंतिम बैलेंस 737042 रूपये होना पाया गया। उक्त खाते को खोले जाने की दिनांक 07.04.2015 होनी पाई गई जिसे आरोपी के आय पक्ष में लिया गया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से आरोपी की आय एवं व्यय निम्न प्रकार है- प्रपत्र 'अ" दिनांक 21.04.2012 से पूर्व अर्जित परिसंपत्तियों का विवरण - क्र. सं. परिसंपत्ति का विवरण खरीदने की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई/ एस.ओ. से सम्बन्ध परिसम्पति का मूल्य (रुपयों में) वर्तमान में परिसम्पति के उपलब्ध होने का विवरण 1 आरोपी द्वारा एक भूखण्ड ए-161, करणीनगर, लालगढ़ बीकानेर दिनांक 29.02.2008 को स्वयं 674870 2 आरोपी द्वारा प्लॉट संख्या ए-161, करणीनगर, लालगढ़ बीकानेर पर मकान निर्माण एलआईसी हाउसिंग फाईनेंस से ऋण लिया जाकर दिनांक 25.05.2009 व दिनांक 06.07.2010 स्वयं 1750000 3 खाना तलाशी में जब्त दस्तावेज बेचान पत्र कृषि भूमि चक 05 पीएम मुरब्बा नम्बर 159/45 कुल 11 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड भूमि उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नम्बर ए जिला जैसलमेर सीमा पुरोहित पुत्री श्री गुलाब सिंह के नाम दस्तावेज दिनांक 19.09.2008 श्रीमती सीमा 235850 4 आरोपी के युनियन बैंक के वेतन खाता संख्या 516902010072684 में चैक अवधि से पूर्व दिनांक 20.04.12 अंतिम बैलेंस राशि दिनांक 20.04.2012 स्वयं 55886 5 आरोपी के पास पूर्व की चैक अवधि दि. 03.10.1996 से 20.04.2012 के अंत में परिसंपत्ति के रुप में उपलब्ध शेष राशि दिनांक 20.04.12 Loa 138954 चैक अवधि से पूर्व अर्जित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 2855560 प्रपत्र "ब" दिनांक 03.10.2022 को पाई गई परिसंपत्तियों का विवरण - क्र. सं. परिसंपत्ति का विवरण खरीदने की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई/ एस.ओ. से सम्बन्ध परिसम्पति का मूल्य (रुपयों में) 1. आरोपी द्वारा एक भूखण्ड ए-161, करणीनगर, लालगढ़ बीकानेर क्रय करने में व्यय राशि दिनांक 29.02.2008 स्वयं 674870 2. आरोपी द्वारा प्लॉट संख्या ए-161, करणीनगर, लालगढ़ बीकानेर पर मकान निर्माण एलआईसी हाउसिंग फाईनेंस से दो ऋण लिया जाकर व स्वयं द्वारा निवेश करके करवाया गया दिनांक 25.05.2009 व दिनांक 06.07.2010 स्वयं 1750000 3. आरोपी द्वारा प्लॉट संख्या ए-161, करणीनगर, लालगढ़ बीकानेर पर मकान निर्माण एलआईसी हाउसिंग फाईनेंस से तीसरा ऋण लिया जाकर दिनांक 22.02.2018 स्वयं 1785000 4. खाना तलाशी में जब्त दस्तावेज बेचान पत्र कृषि भूमि चक 05 पीएम मुरब्बा नम्बर 159/45 कुल 11 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड भूमि उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नम्बर ए जिला जैसलमेर सीमा पुरोहित पुत्री श्री गुलाब सिंह के नाम दस्तावेज दिनांक 19.09.2008 श्रीमती सीमा 235850 5. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान नगद राशि 73500 रूपये तथा परिसम्पत्तियों की अनुमानित कीमत 618400 रूपये की पायी गयी, कुल राशि 03.10.2022 स्वयं 691900 6. खाना तलाशी में जब्त दस्तावेज आरोपी के पुत्र कुनाल राजपुरोहित के नाम से वर्ष 2015 व 2016 के किसान विकास पत्र क्रमांक 44CE 057748, 44CE 057749, 44CE 021295, 44CE 021296, 36CE 960795, 36CE 960796 कुल 06 प्रत्येक दस हजार रूपये का कुल राशि वर्ष 2015 व 2016 आरोपी के पुत्र कुनाल 60000 7. ट्रैप दिनांक 03.10.2022 को गिरफ्तारी के समय आरोपी की जामा तलाशी में आरोपी के पास से मिली सोने की चैन, सोने की अगूंठी आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण में अपने विवाह में उपहार में मिली हुई बताया, आरोपी के पास मिला रेडमी कम्पनी का मोबाईल आरोपी ने स्पष्टीकरण में 10000 रूपये में क्रय करना बताया तथा जामा तलाशी व कार में मिले 340 रूपये व 3600 रूपये आरोपी ने स्वयं के बचत के होने बताये। अतः कुल राशि 03.10.2022 स्वयं 13940 8. आरोपी के युनियन बैंक के वेतन खाता संख्या 516902010072684 में ट्रैप दिनांक 03.10.2022 को अंतिम बैलेंस राशि 03.10.2022 स्वयं 199095 9. आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के एयू स्मॉल फॉईनेंस के बचत खाता संख्या 1711226412603211 में ट्रैप दिनांक को अंतिम बैलेंस राशि 03.10.2022 पत्नी 91311 10. आरोपी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीपीएफ खाता संख्या 37329261730 में ट्रैप दिनांक तक जमा करवाई गई कुल राशि 03.10.2022 स्वयं 900000 11. आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीपीएफ खाता संख्या 37907421461 में ट्रैप दिनांक तक जमा करवाई गई कुल राशि 03.10.2022 पत्नी 750000 12. आरोपी के पुत्र कुनाल के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीपीएफ खाता संख्या 40192757766 में ट्रैप दिनांक तक जमा करवाई गई कुल राशि 03.10.2022 पुत्र कुनाल 2000 13. आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के एचडीएफसी के खाता संख्या 50100497444429 में ट्रैप दिनांक तक अंतिम बैलेंस राशि 03.10.2022 पत्नी 237220 14. आरोपी व आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 37252089137 में ट्रैप दिनांक तक अंतिम बैलेंस राशि 03.10.2022 स्वयं व पत्नी 890 15. आरोपी के पुत्र कुनाल के मैक्स लॉइफ पॉलिसी नम्बर 609083563 में ट्रैप दिनांक तक जमा कुल राशि 03.10.2022 पुत्र कुनाल 250000 16. आरोपी की पुत्री भुवी के मैक्स लॉइफ पॉलिसी नम्बर 609083423 में ट्रैप दिनांक तक जमा कुल राशि 03.10.2022 पुत्री भुवी 250000 17. आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के एसबीआई एफडी खाता संख्या 37438628275 में ट्रैप दिनांक तक करवाई कुल एफडी राशि 03.10.2022 पत्नी 25000 18. आरोपी के पुत्र कुनाल के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 37285154032 में ट्रैप दिनांक तक अंतिम बैलेंस राशि 03.10.2022 पुत्र कुनाल 399 19. आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के केनरा बैंक खाता सं. 83402010029651 में ट्रैप दिनांक तक अंतिम बैलेंस राशि 03.10.2022 पत्नी 737042 20. आरोपी के बैंक ऑफ

इण्डिया के खाता संख्या 667010110009655 बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त खाता दिनांक 20.03.2020 को बंद होना पाया गया। 03.10.2022 स्वयं 0 21. आरोपी व उसकी पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के एसबीआई बैंक शाखा करणीनगर बीकानेर में स्थित लॉकर संख्या 417 की तलाशी में लॉकर पूर्णतया खाली होना पाया गया। 03.10.2022 स्वयं व पत्नी 0 ट्रैप दिनांक को पाई गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य राशि 8654517 प्रपत्र "स" दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 तक एस.ओ., उसकी पत्नी व बच्चों की आय। क्र. सं. आय का शीर्षक विवरण आय प्राप्त होने की दिनांक/वर्ष /अवधि किसके द्वारा अर्जित की गई/ एस.ओ. से सम्बन्ध शुद्ध आय की राशि (रुपयों में) 1. आरोपी के जी.ए. 55 के आधार पर चैक अवधि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 तक प्राप्त शुद्ध वेतन की कुल राशि 3715900 21.04.2012 से 03.10.2022 तक स्वयं 3715900 2. आरोपी द्वारा पेश दस्तावेज व स्पष्टीकरण के अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित को चैक अवधि के दौरान बीकानेर पब्लिक स्कूल व दयानन्द पब्लिक स्कूल बीकानेर में शिक्षण कार्य वेतन भत्तों के रूप में कुल आय राशि 01.05.2012 से 03.10.2022 तक आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित 1453362 3. आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व पेश आईटीआर के अनुसार आरोपी की पत्नी को वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से प्राप्त कुल आय राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 पत्नी 954720 4. आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व पेश दस्तावेज के अनुसार आरोपी का लड़का कुनाल प्राईवेट बैंक में जॉब करता है, जिसका वेतन व कमीशन से प्राप्त आय कुनाल की आईटीआर वर्ष 2020-21 में 238350 रुपये एवं 2021-22 में 187970 रुपये कुल आय राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 लड़का कुनाल 426320 5. आरोपी के पुत्र कुनाल के आईसीआईसीआई बैंक के स्टेटमेंट दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2022-23 में वेतन से आय राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 लड़का कुनाल 9097 6. आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित को निपोन म्यूचल फण्ड (रिलायंस म्यूचुअल फण्ड) के तीन फोलियो नम्बर 401197370666, 401197374166 व 401197372386 से दिनांक 01.06.2021 को प्राप्त कुल रिटर्न राशि दिनांक 01.06.2021 पत्नी 105047 7. आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण व बैंक से प्राप्त खाता स्टेटमेन्ट के अनुसार चैक अवधि में आरोपी को अपने मकान के ऊपर मंजिल के किराये के रूप में प्राप्त राशि चैक अवधि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 तक स्वयं व पत्नी 1291000 8. आरोपी द्वारा प्लॉट संख्या ए-161, करणीनगर, लालगढ़ बीकानेर पर मकान निर्माण एलआईसी हाउसिंग फाईनेंस से तीसरा ऋण लिया जाकर दिनांक 22.02.2018 स्वयं 1785000 9. खाना तलाशी में जब्त दस्तावेज व आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण तथा पेश नोटेरीशुदा प्रमाणित गिफ्टडीड दिनांक 09.11.2021 की प्रमाणित प्रति के अनुसार सुमन पुरोहित द्वारा आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित (सुमन की बहन) के नाम से दिनांक 09.11.2021 को राशि 750000 रूपये अपने भानजे-भाणजी की पढ़ाई/ डिप्लोमा हेतु गिफ्ट डीड के अनुसार जरिये आईसीआईसीआई बैंक जेएनवीसी के चैक संख्या 011811 दिए गए थे आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित के केनरा बैंक खाता संख्या 13402010029651 में दिनांक 17.11.2021 को जमा उक्त राशि दिनांक 17.11.2021 पत्नी 750000 10. आरोपी की पत्नी के नाम कृषि भूमि चक 05 पीएम मुरब्बा नम्बर 159/45 कुल 11 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड भूमि उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नम्बर ए जिला जैसलमेर से कृषि उपज चना की विक्रय पर्ची बाबा रामदेव ट्रेडिंग कंपनी, कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर की दिनांक 05.04.16 पेश की जिसमें चना विक्रय राशि 194250 रूपये व उपज से प्राप्त आय राशि 200000 रूपये जरिये चैक श्री बाबा रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी से प्राप्त हुए, जिसका ईन्द्राज बैंक पास बुक में दिनांक 11.05.2022 को हैं। कृषि उपज से प्राप्त कुल आय राशि दिनांक 05.04.2016 व दिनांक 11.05.2022 आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित 394250 कुल वैध आय 10884696 प्रपत्र "द" दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 तक की अवधि में एस.ओ., उसकी पत्नी व बच्चों पर किये गये खर्चो का विवरण- क्र. सं. खर्चे का शीर्षक विवरण खर्च करने की दिनांक अवधि किसके द्वारा खर्च किया गया। खर्च की राशि (रुपयों में) 1. आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित को चैक अवधि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 में सकल वेतन 5962257 रूपये प्राप्त हुआ, जिसमें से आयकर कटौती राशि 51150 रूपये घटाने पर सकल वेतन 5911107 रूपये प्राप्त होना पाया गया, उक्त 5911107 रूपये की 1/3 असत्यापनीय व्यय राशि 21.04.2012 से 03.10.2022 एस. ओ. व उसके परिवार द्वारा 1970369 2. खाना तलाशी में जब्त दस्तावेज ऑडी मोटर प्रा.लि. गंगानगर रोड़ बीकानेर के बिल संख्या 6591 दिनांक 08.06.2018 श्रीमती सीमा पुरेाहित के नाम चालान, बैक रिसिप्ट वगैरा के संबंध में आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त दस्तावेज आरोपी की पत्नी के नाम खरीदी ब्रेजा गाड़ी संख्या आरजे 07 सीडी 7706 वर्ष 2018 में खरीद के समय के है, उक्त गाड़ी खरीद में आरोपी द्वारा राशि 287000 रूपये डॉउन पैमेन्ट जमा करवाया गया तथा 880000 रूपये का एयू स्मॉल फाईनेस बैक के कार लोन खाता संख्या 9001020114928410 से लोन करवाया गया था। उक्त लोन खाता संख्या 9001020114928410 के स्टेटमेन्ट के अनुसार आरोपी द्वारा 18719 रूपये मासिक किश्त के अनुसार चैक अवधि में ट्रैप दिनांक तक कुल 917231 रूपये कार लोन की किश्तों के जमा करवाये गये। अतः डाउन पेमेंट राशि 287000 रुपये व लोन पुनर्भरण राशि 917231, कुल राशि 1204231 दिनांक 08.06.2018 से 03.10.2022 तक आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा राजपुरोहित 1204231 3. आरोपी द्वारा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण व एलआईसी से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड ए-161, करणीनगर, लालगढ़, बीकानेर पर मकान बनवाने हेतु एलआईसी हॉउसिंग फाईनेस लि. बीकानेर से वर्ष 2009-10 में दिनांक 25.05.2009 को खाता संख्या 15005039716 से प्रथम लोन राशि

900000 रूपये व मकान विस्तार हेतु दिनांक 06.07.2010 को खाता संख्या 15005041172 से द्वितीय होम लोन राशि 500000 रूपये व दिनांक 22.02.2018 को खाता सं. 320500007508 द्वारा तृतीय होम लोन राशि 1785000 रुपये का लोन कुल प्राप्त किया। चैक अवधि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 के दौरान आरोपी द्वारा प्रथम लोन राशि की कुल पुनर्भरण किश्तें 1495368 रुपये, द्वितीय लोन राशि कुल पुनर्भरण किश्तें 888873 रुपये तथा तृतीय लोन राशि कुल पुनर्भरण किश्तें 962776 रुपये जमा करवाई जा चुकी हैं। उक्त तीनों लोन की चैक अवधि में कुल पुनर्भरण राशि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 स्वयं 3347017 4. आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित की पुत्री भुवी राजपुरोहित जो कि सोफिया सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, जयपुर रोड़ बीकानेर में कक्षा 07 में पढ़ती है, जिसका स्कूल से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर कक्षा प्रथम से कक्षा 07 तक वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 में जमा कुल शिक्षा शुल्क (एडमिशन शुल्क, ट्यूशन शुल्क, अन्य शुल्क) राशि वर्ष 2016-17 से 2022-23 आरोपी की पुत्री भुवी राजपुरोहित 193070 5. आरोपी की पत्नी श्रीमती सीमा पुरोहित द्वारा दिनांक 23.04.2018 को निपोन म्यूचल फण्ड (रिलायंस म्यूचुअल फण्ड) के तीन फोलियो नम्बर 401197370666, 401197374166 व 401197372386 में प्रति फोलियो 2000 रूपये मासिक के अनुसार दिनांक 23.04.2018 से 01.06.2021 तक तीनो म्चूचल फण्ड में निवेश कुल राशि दिनांक 23.04.2018 से 01.06.2021 पत्नी 94000 6. चैक अवधि में कुनाल राजपुरोहित की कक्षा 07 से 12 तक प्रतिवर्ष 9000 रूपये के अनुसार 54000 रूपये व्यय हुए व प्राईवेट बी.ए. की शिक्षा पर 1500 रूपये प्रतिवर्ष के अनुसार कुल 4500 रूपये व्यय हुआ, इस प्रकार कुनाल राजपुरोहित की शिक्षा पर चैक अवधि में कुल व्यय राशि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 आरोपी के पुत्र कुनाल राजपुरोहित 58500 योग 6867187 इस प्रकार आरोपित के द्वारा अपने चैक अवधि दिनांक 21.04.2012 से 03.10.2022 तक प्राप्त वैध आय तथा परिसंपत्ति-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है - क्रम संख्या वैध आय तथा परिसंपत्ति-व्यय का विवरण राशि (क) चैक अवधि से पूर्व खरीद की गई/अर्जित की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य (स्टेटमेन्ट 'अ' का योग) 2855560/- (ख) चैक अवधि के अन्त में मौजूद परिसंपत्तियों का मूल्य (स्टेटमेन्ट 'ब' का योग) 8654517/- (ग) चैक अवधि के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों का मूल्य (ख-क) 5798957/- (घ) चैक अवधि के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि (स्टेटमेन्ट 'स' का योग) 10884696/- (ड़) चैक अवधि के दौरान खर्च किये गये कुल खर्च की राशि (स्टेटमेन्ट 'द' का योग) 6867187/- (च) चैक अवधि के दौरान अर्जित कुल परिसंपत्ति एवम व्यय (गड़) 12666144/- (छ) आय से अधिक सम्पति की राशि (च-घ) () 17,81,448/- इस प्रकार जांच से आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित की चैक अवधि 21.04.2012 से 03.10.2022 में वैध आय राशि 10884696/- की तुलना में अर्जित परिसंपत्तियां एवं व्यय राशि 12666144/- होनी पाई गई है जो कि वैध आय से 16.37 प्रतिशत अधिक 1781448/- रूपये है। अतः आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित तत्कालीन उपनिवेशन पटवारी व सहायक ऑफिस कानूनगो, उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नं. 02, जिला जैसलमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1) (ई), सपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1) (बी), सपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (आनन्द मिश्रा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (ई), सपठित धारा-13(2), 13(1) (बी), सपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गोपालसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री केशरीसिंह उम्र 51 वर्ष निवासी मकान नम्बर ए-161 करणीनगर बीकानेर तत्कालीन उपनिवेशन पटवारी (सहायक ऑफिस कानूनगों) उपनिवेशन तहसील रामगढ-2 जिला जैसलमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री आशीष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस0यू0बीकानेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 591 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1221-25 दिनांक 08-10-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर। 2-आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ashish kumar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]0/2024 1[illegible]0

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)